



R- 173-III/15

मेसर्स देव एसोसिएट द्वारा अधिकृत साझेदार -

- (i) देवेन्द्र दुबे तनय स्व. एस.एन. दुबे, उम्र 47 वर्ष, निवासी श्रीयुत नगर, अनंतपुर, रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
- (ii) शंकरलाल कृष्णनानी तनय श्री हीरालाल कृष्णनानी, उम्र 45 वर्ष, निवासी तोपखाना बिछिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) व अन्य

.....पुनर्निरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प (जिला पंजीयक) रीवा (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा उप-पंजीयक, रीवा (म.प्र.)

..... गैरपुनर्निरीक्षणकर्तागण

पुनर्निरीक्षण विरुद्ध आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प रीवा (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 91/बी-103/2013-14 जो मुद्रांक अधिनियम 1899 ई. की धारा 33 के तहत दिनांक 02/11/2014 को पारित किया गया है।

पुनर्निरीक्षण अन्तर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ई0

आवेदन पत्र अंतर्गत 151 व्य.प्र.सं. 1908 ई.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि उक्त उन्मान प्रकरण माननीय न्यायालय की सर्किट कोर्ट रीवा में प्रकरण क्र. आर-173/3/2013 के रूप में आगामी दिनांक 15/11/2016 को नियत है।

R. 173 - III / 15 रीवा ११

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के हस्ताक्षर
<p>3/5/17</p>	<p>आवेदन एवं आवेदन अधिकांश को समझ समझ का आवाज लगी 21 ई को ई उपस्थित नहीं है आवेदन अधिकांश के अनुपस्थित होने के कारण प्रकृत आदेश में स्थिति विभागीय अधी. शासन के पत्र लक्ष्मी कोमल रानी आदि उप।</p>	<p><i>[Signature]</i> 3/5/17</p>